

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कार्यालय आयुक्त आबकारी, मनोरंजन एवं विलासिता कर
एल एवं एन ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

सार्वजनिक सूचना

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में अनुज्ञा प्राप्त देशी शराब विक्रेताओं के माध्यम से बेचे जाने वाले देशी शराब के बोतल, अद्धा तथा पच्चा आकारों के एम.आर.पी (अधिकतम खुदरा मूल्य) में संशोधन को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये निम्नानुसार अनुमोदित कर दिया है, जो कि 13.07.2026 (सोमवार) से प्रभावी है:-

आकार	बोतल (750 मिली)	अद्धा (375 मिली)	पच्चा (180 मिली)
एम. आर. पी. (रू. में)	210 रु	105 रु	50 रु

अधिक जानकारी के लिए कृपया विभाग की वेबसाइट <https://excise.delhi.gov.in/> या <https://eabkari.delhi.gov.in/> देखें।

रवि झा
रवि झा
आबकारी आयुक्त